निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 131 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमायूं मण्डल हल्द्वानी,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग,कुमायूं मण्डल हल्द्वानी, के माह 01/2013 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश डोभाल श्री घनश्याम पाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम व.लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05/03/2019 से 07/03/2019 तक में सम्पादित किया गया।

भाग-।

(ii) **परिचयात्मकः** इकाई की पूर्व लेखा परीक्षा श्री ए के भारतीय एवं सुनील दत्त, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28/01/2013 से 31/01/2013 तक श्री आर एस नेगी लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी उक्त लेखा परीक्षा में माह 06/2005 से 12/2012 तक के लेखा अभिलेखो की सामान्यतः जांच की गई थी वर्तमान में 01/2013 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गई।

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः अधीनस्थ संस्थाओ का निरीक्षण एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण का कार्य।

(iv) (अ) विगत सात वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में
2012-13	-	-		130.78629	130.78629	4.19851	4.19851
2013-14	-	-		148.48775	148.48775	5.04984	5.04984
2014-15	-	-		162.26470	162.26470	4.13957	4.13957
2015-16	-	-		187.94401	187.94401	3.04982	3.04982
2016-17	-	-		191.41986	191.41986	1.80949	1.80949
2017-18	-	-		243.66450	243.66450	2.99904	2.99904

2018-19	-	-		256.30000	233.45639	2.00000	1.50000

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत	आधिक्य
2012-13	पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता	-	3.49988	3.49988	-	-
	आर. पी. व पी. पी. आर. रोग उन्मूलन	-	0.69863	0.69863	-	-
2013-14	पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता	-	4.49998	4.49998	-	-
	आर. पी. व पी. पी. आर. रोग उन्मूलन	-	0.54986	0.54986	-	-
2014-15	पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता	-	3.49982	3.49982	-	-
	आर. पी. व पी. पी. आर. रोग उन्मूलन	-	0.63975	0.63975	-	-
2015-16	पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता	-	2.49999	2.49999	-	-
	आर. पी. व पी. पी. आर. रोग उन्मूलन	-	0.54983	0.54983	-	-
2016-17	पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता	-	1.49958	1.49958	-	-
	आर. पी. व पी. पी. आर. रोग उन्मूलन	-	0.30991	0.30991	-	-
2017-18	पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता	-	2.99904	2.99904	-	-
2018-19	पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता	-	2.00000	1.50000	-	-

(स)राज्य पुरोनिधानित योजनाओ के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत	आधिक्य
2012-13 से 2018-19(02/2019 तक)	- शून्य -					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.सचिव पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

अपर निदेशक पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमायूं मण्डल हल्द्वानी,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमायूं मण्डल हल्द्वानी,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016, 05/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर:1- कार्यालय द्वारा निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजा जाना।

राज्य मे पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु केंद्र द्वारा केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत 90 प्रतिशत केंद्राश के रूप मे धनराशि इस शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की जाती हैं कि धनराशि का उपयोग करने उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र जी0एफ़0आर0 के नियम 19 ए के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय एवं योजनों के अंतर्गत लाभार्थियों का Digitized Data-base लाभार्थियों का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तथा बैंक खाता तैयार किया हैं।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय द्वारा धनराशि का उपयोग करने उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/भारत सरकार को उपलब्ध नही कराया गया हैं एवं न ही योजनों के अंतर्गत लाभार्थियों का Digitized Data-base लाभार्थियों का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तथा बैंक खाता तैयार किया हैं।

इस संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य मे इसका अनुपालन किया जाएगा एवं आंकड़े/साक्ष्य जनपद स्तरीय कार्यालयों मे संरक्षित किए जाते हैं।

अत: कार्यालय द्वारा निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर:-2 गलत वेतन निर्धारण के कारण धनराशि ₹2.96 लाख के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग (कुमायूं मण्डल), हल्द्वानी के अभिलेखो/सेवापुस्तिकाओ की नमूना जांच (03/2019) में पाया गया कि इसी कार्यालय में कार्यरत डा॰ पूरन चन्द्र काण्डपाल /अपर निदेशक को दिनांक 01.05.16 से (7वे वेतनमान में) गलत वेतन निर्धारण कर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जा रहा है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

इनका दिनांक 30.04.16 को 7वे वेतनमान में मूलवेतन 126600 (6^{th} वेतनमान में ग्रेड वेतन 7600, 7^{th} में लेवल-12) था। दिनांक 01.05.2016 को इनको तृतीय एसीपी के तहत ग्रेड वेतन 8700 (लेवल-13) स्वीकृत हुआ जिसके पश्चात 7वे वेतनमान (नए लेवल 12) में इनका वेतन निर्धारण किया गया, जो लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। इनकी सेवापुस्तिका में दिनांक 01.05.16 से निर्धारित मूलवेतन 138500 पाया गया और इसी के अनुसार इन्हे वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया, जबकि लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार 01.05.16 से इनको 130600 का मूलवेतन दिया जाना चाहिए था और इसी के अनुसार वेतन/भत्तो का भुगतान किया जाना था।

उपरोक्त की वजय से कार्यालय द्वारा इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी गलत वेतन निर्धारण किया गया। इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों 01.01.17, 01.01.18 एवं 01.01.19 को क्रमश: 142700, 147000 एवं 151400 का मूलवेतन निर्धारित किया गया और इसी के अनुसार इन्हे वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया, जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार इनको 01.01.17, 01.01.18 एवं 01.01.19 से क्रमश: 134500, 138500 एवं 142700 के मूलवेतन पर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण एवं उसके अनुसार भुगतान के कारण इनको 01.05.2016 से फरवरी 2019 तक **धनराशि ₹296082 के वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान** किया गया।*(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।)*

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर मे बताया कि प्रकरण की जांच कर तत्पश्चात वेतन निर्धारण को ठीक कर अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली कर ली जाएगी। कार्यालय के उत्तर से स्वम लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। **अत: गलत वेतन निर्धारण एवं इसके कारण धनराशि ₹2.96 लाख के अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	40/1990-91	1,2	-
2	22/1989-90	-	1
3	01/1995-96		1
4	170/1996-97		1
5	61/1997-98		1
6	55/2000-01		
7	16/2005-06		
8	74/2012-13		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त सभी निरीक्षण प्रतिवेदन बिन्दु 1 से 8 तक	उपरोकतानुसार	इन प्रस्तरों से संबन्धित अनुपालन आख्या विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जा चुकी है विभागाध्यक्ष से उच्च स्तर को प्रेषित किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या के आधार पर उपरोक्त सभी प्रस्तरों को यथावत रखा जान है	

सर्वोतम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमायूं मण्डल हल्द्वानी,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

शून्य

सतत् अनियमितताएः

शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	डा. श्री के. के. जोशी	/अपर निदेशक (विगत लेखा परीक्षा से 19/7/17 तक)
2.	डा. श्री एम. एस. जुयाल	/अपर निदेशक (20/7/2017 से 1/4/2018 तक)
3.	डा. पी. सी. कांडपाल	/अपर निदेशक (2/4/2018 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमायूं मण्डल हल्द्वानी,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी